कार्यालय
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
कुशीनगर

सं0– 466 /शास्त्रोक्त औषधि/2020–21

दिनांक– 12 अक्टूबर 2020

अल्पकालीन निविदा–सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय,उत्तर प्रदेश की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कुशीनगर में शास्त्रोक्त औषधि (निर्मित औषधि) को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट–19 में निविदा से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्त में निहित निर्देश के अनुसार रू0–18,00,000 (रू0 अठ्टारह लाख मात्र) के अन्तर्गत दर अनुबन्ध के आधार पर आपूर्ति हेतु ऐसे अनुभवी एवं प्रतिष्ठित व्यापारियों से आनलाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती है जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा किसी विभाग द्वारा प्रतिबन्धित/काली सूची में अंकित न हो। निविदादाता फर्म का गत तीन वर्षो से वाणिज्य कर कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है। फर्म का विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष टर्नओवर रू0 20,00,000.00(रू0 बीस लाख मात्र) होना चाहियें । इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्रों मे दी गयी शर्तो एवं नियमों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शास्त्रोक्त औषधियो की मात्रा अनुमानित रखी गयी है जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के सापेक्ष परिवर्तन हो सकती है। **बाजार भाव से 40 प्रतिशत से अधिक, कम मूल्य डालने वाली फर्मो का टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।** औषधियों की आपूर्ति के पश्चात किसी भी औषधि का चिकित्सालय से शिकायत आने पर उस औषधि का लैब परीक्षण कराया जायेगा। लैब परीक्षण पर होने वाला ब्यय सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। निविदा दिनांक 09.11.2020 के अपरान्ह्न 3.00 बजे से 23.11.2020 के अपरान्ह्न 3.00 बजे तक https://e-tender.up.nic.in डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है। निविदा दिनांक 24.11.2020 को अपरान्ह्न 12.30 बजे खोला जायेगा ।

निविदा से सम्बन्धित आवश्यक शर्ते एवं प्रपत्र https://e-tender.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

(डा0 सुरेन्द्र राय)
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
कुशीनगर

Scanned with CamScanner